रमेश कुमार सुथार गोद अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर प्रकरण संख्या 01/2019

12.02.2019	अपीलांट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांट का आवेदन पत्र 01.01.2019 को प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में अपीलांट को जरिये पत्रांक/07 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा 106 पृष्ठो के 212/- रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने के कारण आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 869507 के संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2018 जो कि रेस्पोडैन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 01.01.2019 को प्राप्त होना अवगत करवाया गया है। अपीलांट द्वारा अपने उक्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबध में राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना हेतु जरिये पत्रांक/07 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत दिनांक 31.12.2018 जो कि रेस्पोडैन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 01.01.2019 को प्राप्त होना अवगत करवाया है, के तहत सूचना हेतु वांछित दस्तावेजो के पेटे राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक/07 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा सूचित किया गया होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 6(1) का प्रार्थना पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत वांछित कार्यवाही अन्दर म्याद की गई है चूकि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वांछित राशि जमा नही करवाई है अतःइस अपील का कोई विधिक आधार नही है।तदानुसार अपील खारीज की जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर फैसल शुमार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। Sd/- प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 18:12:01 IST
Reason: SelfAttested